	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
सत्यमेव जयते	फाल्गुन 07, गुरूवार, *शाके* 1947- फरवरी 26, 2026 Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2026

प्रपत्र-7

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सख्या 30) की धारा 11(1) एव राजस्थान नियम 16(1))

RajKaj Ref No.: 20450714 :-चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए **राजस्थान राज्य के चूरू जिले में रामनगर तिराहा (चूरू) में चूरू-रामगढ़ शेखावटी रेलवे लाईन पर आर.यू.बी. (RUB) के निर्माण के लिए कुल 0.9221 हैक्टेयर भूमि** अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्याकन अध्ययन (एसआईए) का कार्य मेसर्स आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंट, जयपुर द्वारा किया गया था। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।

2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारीयों को, जिनका इससे संबंध है, को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्‌टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का **भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चूरू, जिला-चूरू** की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां **भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चूरू, जिला-चूरू** के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चूरू, जिला-चूरू (राज.)

राजस्थान राज्य के चूरू जिले में रामनगर तिराहा (चूरू) में चूरू-रामगढ़ शेखावटी रेलवे लाईन पर आर.यू.बी. (RUB) के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति हेतु धारा-11 एवं धारा-12 की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्रम संख्या	जिलें का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अवाप्त क्षेत्र फल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम	वृक्षों का विवरण	संरचनाओं का विवरण
1	चूरू	चूरू	खासोली	1561/1319	सरकारी	बारानी	1180.000	0.1180		राज. सरकार	-	-
2	चूरू	चूरू	खासोली	1562/1319	सरकारी	बारानी	1795.000	0.1795		राज. सरकार	अरडू-5	-
3	चूरू	चूरू	खासोली	1131/1129	निजी	बारानी	2973.000	0.2973	1.2646	1. गिन्नीदेवी पत्नि बच्छराज हिस्सा-पूर्ण जाति-सोनी निवासी चूरू खातेदार,	पीपल-2 नीम-3 खेजड़ी-1	बाउण्ड्रीवाल लंबाई-40.00 मी. एवं ऊॅंचाई-2.20 मी.
4	चूरू	चूरू	खासोली	1640/1567	सरकारी	बारानी	1046.000	0.1046	0.1046	राज. सरकार	-	-
5	चूरू	चूरू	खासोली	1638/1563	सरकारी	बारानी	325.000	0.0325	0.0325	राज. सरकार	-	-
6	चूरू	चूरू	खासोली	1642/1620	सरकारी	बारानी	700.000	0.0700	0.1305	राज. सरकार	-	-

क्रम संख्या	जिलें का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम	वृक्षों का विवरण	संरचनाओं का विवरण
7	चूरू	चूरू	खासोली	1414/1271	सरकारी	गै.मु. रास्ता	1202.000	0.1202	0.1202	राज. सरकार	-	-
परियोजना में कुल अवाप्त रकबा:							**9221.000**	**0.9221**	**1.6524**			

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।